④

(15) Inw 150/15
EX 2 filed
on 30/1/15
A/c

पालीवाल सेवा मंडल नागपुर.

: विधान :

नाम:- १) पालीवाल सेवा मंडल, नागपुर.

इस संस्था का नाम पालीवाल सेवामंडल, रहेगा,

२) इसका कार्यालय नागपुर में होगा.

३९६/२५
अ.उ. शर्मा
१९/१/२५
१३/२/२५
१३/२/२५
६५/-
१३/२/२५

मंडल का उद्देश्य :- ३) पालीवाल समाज की सर्वांगी मुखी उन्नतिकरना होगा.

४) उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंडल निम्न लिखित कार्य करेगा.

क) पालीवाल धर्मशाला बनाने के लिए निधी एकत्रित करना.

ख) विद्यार्थीयों के लिए छात्रावास बनाने के लिए निधि एकत्रित करना.

ग) सामाजिक, राष्ट्रीय विषायोंपर प्रवचन, वादविवाद, लेख प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमोंका आयोजन कर समाज के बौध्दिक विकास में योग देना.

घ) समाज को संगठित कर राष्ट्रोन्नति के कार्य के लिए प्रेरित करना.

ङ) जातिय उन्नति में सहायक साहित्य का निर्माण करना.

च) धन तथा अन्य, प्रकार की सहायता दान व चन्दा, सदस्यता शुल्क तथा अन्य कानूनी उपायों-से एकत्रित करना.

छ) मंडल की स्थावर व जंगम तथा अन्य सब प्रकार की सम्पत्ति का उचित प्रबंध करके आयका साधन बनाना अथवा मंडल के ही कार्य में उसका उपयोग करना.

DEPUTY CHARITY COMMISSIONER NAGPUR

ज) योग्य कानूनी तरीकों से कर्ज लेना, या देने का अधिकार किसी भी समय मंडल की कुलसम्पत्ति के मुल्य का :-४ से अधिक न होगा.

झ) मंडल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपसमीतियां संगठीत करेगा.

ञ) असहाय विद्यार्थियों को योग्य सहायता देना. (यह सहायता उनको विद्याध्ययन पूर्ण होने पर आसान किस्तों में ५ साल में वापिस करनी होगी. इन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समाज सेवा कार्य में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे).

ट) उपयुक्त कार्योंके अतिरिक्त हर कानूनी कार्य जो मंडल की उद्देश्य पूर्ति में किसी भी रूप से सहायक करना.

५) मंडल की समस्त सम्पत्ति का उपयोग मंडल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा कोई अन्य व्यक्ति इसका लाभ नहीं कर सकेगा.

६) मंडल के विसर्जित होने पर उसकी सारी सम्पत्ति पालीवाल समाज के दूसरे मंडल के अथवा संस्था जिसके उद्देश्य पालीवाल समाज के उन्नति का होगा, उसकी दी सकेगी.

१) नियम :

१) सदस्यता........

जीन सज्जनों को अिस संस्था के नियम व उपनियम मान्य होंगे एवं कार्यकारणी मंडल की स्विकृती प्रदान होगी वे ही सज्जन संस्था के सदस्य बन सकेंगे.

२) जिन सज्जनों की सदस्यता अस्वीकृत हो जावेगी उन सज्जनों को अस्वीकृति का कारण स्पष्ट करने के लिये संस्था बाध्य न रहेगी.

२) सदस्यता के प्रकार:---

१) संरक्षक सदस्य.

२) संस्थापक सदस्य.

३) आजीवन सदस्य.

४) हितचिंतक १०१) रु.

५) साधारण सदस्य.

क्रमांक १,२,३,४ के सदस्योंके लिये वार्षिक शुल्क देना आवश्यक नही रहेगा.

~~१) संरक्षक-सदस्य:-~~

२) संस्थापक सदस्य:-

अ) जीन सज्जनोंने संस्थाको कमसे कम १००१ रुपये सहायता दी है अथवा देनेका आश्वासन दिया है तथा अुस राशि का ५० प्रतिशत तुरन्त और शेष र.कमी एक वर्ष के अंदर देंगे. वे संस्था के संस्थापक सदस्य माने जायेंगे.

ब) अिन सदस्यों को संस्था से अलग नही किया जा सकेगा परंतु वे खुद चाहे तो अलग हो सकते है.

~~१) संरक्षक-सदस्य:-~~

१) संरक्षक सदस्य:-

जो सज्जन कमसे कम २५०० रुपयोंकी सहायता अेक मुस्त या १ वर्ष के भीतर पांच किस्तों मे देवेंगे वे संरक्षक सदस्य माने जावेंगे. ये सदस्य अपने जीवन काल के लिये होंगे या उनके जीवन काल मे भी अपना उत्तराधिकारी अथवा समाज के किसी दूसरे व्यक्तिको अपने स्थानपर नामजद कर सकेंगे.

३) आजीवन सदस्य:-

जो सज्जन संस्थाको कमसे कम २५१ रुपये अेक मुस्त देंगे वे आजीवन सदस्य माने जावेंगे.

४) हितचिंतक सदस्य:-

४) हितचिंतक सदस्य:-

जो सज्जन संस्था को एक साथ १०१) रु. देंगे वे हितचिंतक सदस्य माने जावेंगे.

५) साधारण सदस्य:-

जो सज्जन संस्थाको कमसे कम सालाना तीन रुपये संस्था को भेजते रहेंगे वे सज्जन साधारण सदस्य माने जावेंगे. यह सदस्य शुल्क उसे १ जानेवारीसे ३१ मार्च तक देना होगा. इन सदस्योंको चुनाव में वोट देनेका अधिकार रहेगा.

ल) समाज का कोई भी व्यक्ती जीसकी आयु १८ वर्षो की या उससे अधिक हो वह मंडल का सदस्य बन सकता है.

क) अवैधानिक, अशोभानिय, अनुशासनहीन व्यवहार अथवा किसी अन्य अनुचित कार्यपर

ख) सदस्य के वर्षो समाप्तीपर वार्षिक शुल्क देने पर मंडलको सदस्यता से अलग करने का अधिकार है.

COMMISSIONER *

६) वार्षिक सर्व साधारण सभा.

अ) वार्षिक सर्व साधारण सभा साधारणत: आगस्त माह में होगी उस समय निम्न लिखित कार्य होंगे.

आ) वार्षिक सर्व साधारण सभा का आयोजन भी किसी महत्त्व पूर्ण सामाजिक उत्सव या सामाजिक समारोह के अवसर पर किया जा सकेगा.

अ) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आयव्यय पत्रक पर विचार

ब) कार्यकारीनी समीती का चुनाव.

क) सदस्योंव्दारा एक माह पुर्व एक सुचित किये गये प्रस्तावों पर विचार.

ड) अध्यक्ष की अनुमतीसे अन्य कार्य.

७) संस्थाका कार्य वर्ष ~~१५ आगष्ट से प्रारंभ होगा.~~ १ अक्टूबरसे ३० सितम्बर तक होगा

८) साधारण सभा. K.D. Paliwal

साधारण सभा प्रति माह के प्रथम रविवार को या पूर्व सुचित तीथीपर हुआ करेगी. किसी विशेष सर्व साधारण सभा की बैठक कमसे कम सात सदस्यों के आवेदन पर बुलायी जायेगी उसमे वही विषय रखे जावेंगे जिनके लिये कार्यकारीनीसे या अध्यक्ष की सम्मति पूर्व ले ली गई होगी.

कोरम:- वार्षिक सर्वसाधारण सभा के लिये २० सदस्योंका होगा.

-: कार्यकारिणी समिति:-

मंडल को सुचारु रूपसे चलाने तथा मासिक साधारण सभाओंका आयोजन करने के लिये एक कार्यकारिणी समिति होगी जो की वार्षिक सर्वसाधारण सभा द्वारा चुनी जावेगी.

उसमें निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:--

१)	अध्यक्ष	१	
२)	उपाध्यक्ष	२	: एक उपाध्यक्ष महीलाओं में से रहेगी.
३)	मंत्री	१	
४)	उपमंत्री	२	: एक उपमंत्री छात्रोंमेंसे रहेगा.
५)	अर्थमंत्री	१	
६)	उपअर्थमंत्रि	१	
७)	सदस्य	११	

कार्यकारीनी समिति ~~में कमसे कम ३ संस्थापक सदस्य रहेंगे~~. इसका चुनाव पालीवाल सेवा मंडल के कुल संस्थापक सदस्यों मेंसे होगा. ~~कार्यकारणी में २ संरक्षक सदस्य रहेंगे. शेष सदस्योंका चुनाव सर्व साधारण सभामेंसे होगा.~~ कार्यकारीणीका कार्यकाल २ वर्षो का रहेगा किन्तु जबतक नवीन कार्यकारीणी गठीत न होगी तबतक पुरानी कार्यकारीनी काम सम्हालेगी.

कार्यकारीनीकी बैठक मंत्रीद्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी. अध्यक्ष के आदेशानुसार अथवा कार्यकारीणी के किन्हीपांच सदस्यों के आवेदनपर मंत्री को एक सप्ताह के भीतर किसी विशिष्ठ विषयपर विचार करने के लिये कार्यकारीणी की सभा बुलाई होगी. उसमें उक्त विषयपर ही विचार होगा. कार्यकारीणीकी विशेषसभा के लिये कोरम कमसेकम १० सदस्यों का रहेगा.

कार्यकारीणी की बैठक का कोरम ६ सदस्योंका होगा.

बिना उचित कारण बताये कार्यकारीणी की लगातार तीन बैठकों में भाग न लेनेवाले सदस्योंको कार्य कारीणी समितिसे वंचित किया जा सकेगा.

कार्यकारीणीमें कोई भी स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ति के लिये कोई भी व्यक्ती को नियुक्त कर सकेगी.

प्रथम चुनाव होनेतक एक अस्थायी कार्यकारीनी समिति कार्यभार संभालती रहेगी.

आवश्यकता पडनेपर विशिष्ठ सदस्योंको सुलझाने के लिये सलाहकार समिति की नियुक्ती कि जा सकेगी और वे अपने विचार पोस्ट द्वारा व्यक्त कर सकते है. उक्त समिती में समाज के कोई भी प्रतिष्ठीत व्यक्ती नामजद किये जा सकेंगे. ता. २०-१०-६२ को कार्यकारीणी समितिका चुनाव हुआ जिसमें निम्नलिखित सज्जन कार्यकारीणी समितिमें चुने गये.

१)	अध्यक्ष :-	श्रीमान डॉ. ताराचंदजी पालीवाल, ~~मांगलिवाग~~ इतवारी, नागपुर.
२)	उपाध्यक्ष :-	श्रीमान मुन्शीलालजी शर्मा
३)	उपाध्यक्ष :-	सौ० सुशिलाबाई पालीवाल.
४)	मंत्री :-	श्रीमान पंडित किशोरीलालजी पालीवाल.
५)	उपमंत्री :-	श्रीमान बालमुकुंदजी पालीवाल.
६)	अर्थमंत्री :-	श्रीमान दौलतरामजी पालीवाल.
७)	निर्देशक :-	
८)	सदस्य :-	

१) श्री ताराचंदजी पालीवाल
२) श्री हलजीमलजी पालीवाल
३) श्री चुन्नीलालजी हरजाल.
४) श्री अमरचंदजी पालीवाल.
५) श्री डॉ. पृथ्वीराजजी पालीवाल
६) श्री राधाकृष्णजी पालीवाल.
७) श्री दौलतरामजी पालीवाल (तुमसर)
८) श्री किसनलालजी पालीवाल (पारशिवनी)
९) श्री गोपालजी पालीवाल (लालबर्रा)
१०) श्री श्री कन्हैयालालजी हरजाल(काटोल)
११) सौ० इंदिराबाई पालीवाल.

कार्यकारीनी के अधिकार.

मंडल के उद्देश्य को सुचारू रूपसे सफल करने के लिये विभिन्न उप समीतीयों का निर्माण करना. मंडल की ओर से कोई भी कार्य करना और उसके लिये उत्तरदायित्व लेना. वार्षिक पत्रक तथा आय व्यय पत्रक तयार करना एवं व्यय के मदोंपर नियंत्रण करना, मंडल के कार्य को सुचारू रूपसे संचालन करने के लिये उपनियम बनाने।

कार्यकारीनी के पदाधीकारी के अधीकार :

१. अध्यक्ष के अधिकार :

अ) संस्था के संगठन की दृष्टीसे तथा उसके दायीत्व व प्रतिष्ठा के नाते किसी ऐसे प्रस्ताव को सभा में उपस्थित करने से रोक सकेंगे. जिससे संस्था को हानी पहुचने की संभावना है.

ब) व्यर्थ की आलोचना, व्यक्तीगत आक्षेप व अन्य बातों की सभा में बोलने से ~~से~~ रोक देने का पूर्ण अधिकार होगा.

क) असंयम दिखलाने की दशा में अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी सदस्य को शांत रखने के प्रयत्न में असफल होने पर उसे सभा से अलग हो जाने का आदेश कर दे अथवा अवश्य ~~पर~~ सभा की कार्यवाही स्थगीत कर देने का अधिकार होगा.

ख) मत विभाजन के समय समान मत होनेपर निर्णायक मत देना

घ) मन्डल द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावों को कार्यान्वीत करना तथा मंडल का कार्य नियमीत रूपसे चले ऐसा नियंत्रण रखना.

उपाध्यक्ष

अ) संस्था की समस्त प्रवृतीयों को सफल बनाने में अध्यक्ष को सहयोग देना.

ब) अध्यक्ष की अनुपस्थीती में उनके दायीत्व का निर्वाह करना.

मंत्री

अ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दायीत्व को पूर्ण करने में सहायता देने देना.

ब) कार्यालय तथा मंडल की समस्त गतिविधी के लिये उत्तरदायी रह

-कर मंडल का कार्यभार संभालना.

क) संस्था के चंदे की रकम, जायजाद संपती का उचित रूपसे निरीक्षण करना तथा सुरक्षित हाथों मे रखना.

ख) बहुमत से निश्चित कार्यक्रम का ठीक रूपसे संचालन करना.

घ) समय पर आये हुये कार्यालय के पत्रका उचीत उत्तर देना तथा कार्यालय के आधीन समस्त कार्योंका निरीक्षण करना

ग) संस्था के समस्त सदस्यों की कठिनाईयों एवं परिस्थिती ओंकी जानकारी तथा उनकी शिकायतों पर उचीत ध्यान देकर उस पर योग्य सलाह व निर्णय देना.

च) संस्था के संकलीत प्रत्येक सी समिति सरकारी कानुनी कार्यवाही करना. संस्थासे संबंदीत प्रत्येक समिति से संबंध स्थापित कर वहॉं की प्रबंध समिती यापर समय समय पर निरिक्षण करना. कार्यकारिणीके सलाहसे मंडल के कर्मचारियों को नियुक्त करना, उनका वेतन निश्चित करना तथा उनके नोकरीसे अलग करना. मंडलसे संबंधित अन्य कार्योंका उपस्थित करने के लिये मंडल के किसी सदस्य को आदेश देना.

उपमंत्री

अ) मंत्री की समस्त प्रवृतियोंको सहायक होंगे तथा उनकी अनुपस्थीती मे उसका कार्यभार सम्भालेगा.

ब) मंडल के समस्त कार्योंपर भी ध्यान देते रहेंगे.

कोषाध्यक्ष

अ) संस्था की संपत्ती संबंधित मामलों की जबाबदारी मंडल के कोषाध्यक्ष की होगी. मंडल के समस्त आयव्यय का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष के आधीन रहेगा.

ब) अध्यक्ष की अनुमती बिना किसी को रकम देना या खर्च करना मान्य नही होगा.

क) खर्च या जमा की रसीदे प्राप्त करना आवश्यक होगा.

अन्य सदस्य

कार्यकारीनी के अन्य सदस्य समय समय पर अपने सुविचारोंसे

..८...

संस्था की प्रगति पर सलाह दे सकेंगे और उन्हे संस्था के कार्यकारीनी के पदाधीकारीयोंके कार्यो मे पूर्ण मदत पहुचाते रहेंगे.

मंडलके मंत्री द्दारा सुचित कार्योपर सचारू रूपसे पारीत करने के लिये जिम्मेदार से रहेंगे.

व्ययाधिकार:-

मंत्री कार्यकारीणी की अनुमती के बिना रू. २५ तक का खर्च करने का आदेश दे सकता है. जिससे भी अधिक खर्च कार्यकारीनी के अनुमती से करेगा. किसी समय भी मंडल को १००रूपये से अधिक पुंजी अपने पास नही रख सकेगा. तथा शेष रकम यथाशिघ्र बँक मे जमा कर देना होगी.

NAGPUR

अन्य:-

१) मंडल के हित मे धन तथा अन्या प्रकार की सहायता दान चंदा वार्षिक शुल्क आदी कानुनी तरीकेसे एकत्रित करनेका मंडल को अधिकार रहेगा.

२) मंडल के ही मे मंडल की जायदाद मे अन्य रद्द बदल करना या उसे घटाना या बटाने का अधिकार जायज होगा. मंडल की सर्व साधारणा कमसेकम ७५) सदस्योकी अनुमति होगी.

३) देशपर किसी कारण अतिवर्षा काल बाढ या दुर्घटना आदि आपत्ती आ जाय तो उससे ग्रस्त लोगो को मंडल की ओर से यथाशक्ती. मदद करना.

४) वार्षिक सर्व साधारण सभा की सुचना २१ दिन पूर्व और विषयसर्वसाधारण सभा व कार्यकारिणी की बैठक की सुचना दोदिन पूर्व देनी होगी . ऐसी सभी सुचनाओ मे सभा का समय दिन स्थान और विषयोंका समावेश होगा.

५) सभा मे कोई भी प्रस्ताव व निर्णय उपस्थित सदस्योंके बहुमत द्दारा स्वीकृत ही वैध होगा. यदि प्रस्ताव विधान या नियमोंमे संशोधन अथवा समावेश या संघ के विसर्जन विलीनीकरण या एकीकरण के संबंद मे हो तो सर्व साधारण सभामे उपस्थित सदस्याओंके तीन चतुर्थांस से ही पास किया जावेगा.

६) मंडल के किसी सदस्य को अध्यक्ष या मंत्री की अनुमती से मंडल के कागजात देखने का अधिकार होगा.

७) ~~निश्ची~~ निश्चीत कियेहुये किसी भी सभा के एक घंटा बाद

--९--

सदस्योंका कोरम उपस्थित न होने पर सभा का दिन बदल देने देने का मंडल के प्रधान मंत्री और अध्यक्ष का ~~पूर्ण~~ पूर्ण अधिकार होगा.

८) सदस्यों को दी जानेवाली सूचना लिखित हस्ताक्षर द्वारा अथवा पोस्ट द्वारा दी जावेगी.

९) यह विधान सर्व साधारण सभा मे स्वीकृत होने के बाद तुरंत ही लागु समझा जावेगा.

१०) मंडल की समस्त कार्यवाही का ब्यौरा एक एक नियत रजिस्टर मे दर्ज किया रहेगा. तथा उसपर अध्यक्ष व मंत्रीके हस्ताक्षर रहेंगे.

किशोरीलाल पालीवाल
सेक्रेटरी

......

DEPUTY CHARITY COMMISSIONER NAGPUR

Certified to be
Xerox True Copy
Xerox By

Public Trust Registration Office
Nagpur Region, Nagpur